Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बाड़मेर में किशनाराम पटवारी, (पटवार मण्डल सिणधरी, बालोतरा) 30,000/- रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।**

जयपुर, 05 फरवरी बुधवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी बाड़मेर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करतें हुए आरोपी **श्री किशनाराम पटवारी, पटवार मण्डल सिणधरी, अतिरिक्त चार्ज कमठाई, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा** को परिवादी के ग्प्रम धन्ने की ढाणी, पटवार मण्डल कमठाई में बाड़मेर–जालोर स्टेट हाईवे पर स्थित कृषि भूमि में से एक बीघा कृषि भूमि का वाणिज्यिक सम्परिवर्तन कराने हेतु मौका रिपोर्ट सहित अन्य आवश्यक कार्यवाही कर एस.डी.एम. को पत्रावली पेश कर सम्परिवर्तन आदेश जारी करवाकर परिवादी को देने की एवज में परिवादी से 90,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर पूर्व में 60,000 रूपये प्राप्त किये गये एंव उक्त तय राशि में से शेष 30,000 रूपये रिश्वत राशि लेते हुए आरोपी को तहसील कार्यालय सिणधरी के पास स्थित स्वंय के राजकीय क्वार्टर में रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. की चौकी बाड़मेर कों एक शिकायत इस आशय की मिली की परिवादी के ग्राम धन्ने की ढाणी, पटवार मण्डल कमठाई में बाड़मेंर–जालोर स्टेट हाईवे पर स्थित कृषि भूमि में से एक बीघा कृषि भूमि का वाणिज्यिक सम्परिवर्तन कराने हेतु मौका रिपोर्ट सहित अन्य आवश्यक कार्यवाही कर संबंधित एस.डी.एम. को पत्रावली पेश कर सम्परिवर्तन आदेश जारी करवाकर परिवादी को देने की एवज में परिवादी से 90,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर पूर्व में 60,000 रूपये प्राप्त किये एंव शेष 30,000 रूपये के लिए परिवादी को परेशान कर रहा था।

जिस पर एसीबी रनेज जोधपुर **के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री हरेन्द्र महावर** के सुपरविजन में ए.सी.बी. चौकी बाड़मेर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार के नेतृत्व में आज श्री किशन सिंह चारण उप अधीक्षक पुलिस एसीबी जोधपुर द्वारा** मय एसीबी इकाई बाड़मेर की टीम के साथ ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री किशनाराम पटवारी, पटवार मण्डल सिणधरी, अतिरिक्त चार्ज कमठाई, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा को परिवादी के एक बीघा कृषि भूमि का वाणिज्यिक सम्परिवर्तन आदेश जारी करवाकर देने की एवज में तीस हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमति स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में आरोपियों से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।